कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,केकड़ी

कमांक .क.के/विकास/योजना/अ.पू. रसोई/2024/ 754-764 **दिनांक:–** 22/02/24

1.समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला केकड़ी
2.समस्त तहसीलदार, जिला केकड़ी।

विषयः– **"श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना"**(ग्रामीण) का औचक निरीक्षण करने बाबत्।

प्रसंगः– शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) जयपुर के पत्रांकः एफ139()/परावि/श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना/2024/ दिनांक 21.02.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि केकड़ी जिले में संचालित **"श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना"**(ग्रामीण) में **संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा दिनांक 27 व 28 फरवरी को रसोईयों का औचक निरीक्षण किया जाना है।**

अतः विभागीय गाईडलाईन अनुसार "श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना" (ग्रामीण) के सफल संचालन हेतु निरीक्षण के दौरान रसोईयो के संचालनकर्ता को आवश्यक निर्देश दिये जावें।

निरीक्षण उपरान्त निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण रिपोर्ट ई–मेल आईडी (rajpr.dslegal@rajasthan.gov.in) पर भिजवाये। निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति इस कार्यालय को भी भिजवाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

श्वेता चौहान (IAS)
जिला कलक्टर, केकडी

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् केकड़ी।
2. रक्षित प्रति।

Signature valid
Digitally signed by Shweta Chauhan
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.02.22 18:41:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5760199

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ139()/परावि/श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना/2024/ दिनांक :–

जिला कलक्टर समस्त।

विषयः– **"श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना"**(ग्रामीण) का निरीक्षण कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बीकानेर जिले में **"श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना"** (ग्रामीण) के अंतर्गत संचालित रसोईयों का औचक निरीक्षण करने पर अधिकांश रसोईया मौके पर बंद पाई गई तथा कई रसोईयों में स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण लाभार्थियों को गुणवत्तानुसार भोजन की थालिया नही परोसी जा रही है।

अतः आपके जिले में संचालित **"श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना"** (ग्रामीण) में संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा दिनांक 27 व 28 फरवरी को रसोईयों का औचक निरीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। तथा निरीक्षण के दौरान रसोईयो के संचालन में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये जावे। जिससे योजना का विभागीय गाईडलाईन के अनुसार पूर्णगुणवत्ता एवं उपयोगिता के साथ संचालन हो सके।

"श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना" (ग्रामीण) में रसोईयो के निरीक्षण के उपरांत निर्धारित पपत्र में निरीक्षण रिपोर्ट तथा रसोई संचालन में आ रही समस्याओ को विभागीय ई–मेल आईडी (rajpr.dsalegal@rajasthan.gov.in) पर भिजवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref
5731864

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Jain
Designation : Secretary To Government
Date :21-02-2024 12:23:39

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) निरीक्षण प्रपत्र

जिला परिषद का नामः–

जिले का नामः–

पंचायत समिति एंव ग्राम पचांयत का नामः–

रसोइ नम्बरः–

निरीक्षण की तिथि/समय पर लाभार्थियो की कुल संख्याः–

निरीक्षण के दौरान दिए जा रहे भोजन का विवरण (लंच/डिनर):–

निरीक्षण दिनांक एवं समयः–

निरीक्षण के दौरान लाभार्थियों से ली जा रही राशिः–

मैन्यू का विवरणः–

1. क्या रसोई की सामान्य साफ–सफाई व्यवस्था अच्छी है? हॉ/नहीं
2. क्या श्री अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण का फलैक्स लगा हुआ है? हॉ/नहीं
3. क्या लाभार्थी हेतु भोजन करने के लिए बेंच एवं बैठने की व्यवस्था टेबिल कुर्सी है? हॉ/नहीं
4. क्या टोकन काटने के लिए मशीन चालन की स्थिति में है? हॉ/नहीं
5. क्या कम्प्यूटर से फोटो सही संचालित हो रही है? हॉ/नहीं
6. क्या पीने के पानी की व्यवस्था है? हॉ/नहीं
7. क्या हाथ धोने के लिए वॉशबेसिन उपलब्ध है? हॉ/नहीं
8. क्या खाने के बाद बर्तन सही प्रकार से धोये जा रहे है? हॉ/नहीं
9. क्या कचरा पात्र का उपयोग हो रहा है? हॉ/नहीं
10. क्या खाना रसोई में बन रहा है? हॉ/नहीं
11. क्या खाना गर्म है? हॉ/नहीं
12. क्या खाने का सही रख रखाव है? हॉ/नहीं
13. क्या चपाती गर्म एवं लाभार्थियो का पसन्द आ रही हैं? हॉ/नहीं
14. क्या सब्जी वार्मर है? हॉ/नहीं
15. क्या भोजन मैन्यू प्रदर्शित किया गया है? हॉ/नहीं
16. क्या भोजन प्रयोजन का बोर्ड प्रदर्शित है? हॉ/नहीं
17. क्या श्री अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण के अंदर फ्लैक्स प्रदर्शित है? हॉ/नहीं
18. क्या कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी के मोबाईल नम्बर अंकित किये जा रहे है? हॉ/नहीं
19. क्या भोजन मैन्यू अनुसार, श्री अन्न (मिलेट्स)/चावल के साथ दिया जा रहा है? हॉ/नहीं
20. क्या खाने में अचार परोसा जा रहा है? हॉ/नहीं
21. क्या भोजन सर्व करने वाला रसोई का कार्मिक टोपी /ग्लव्स /ड्रेस/ऐपरिन इत्यादि पहने हुए है? हॉ/नहीं
22. क्या टोल फ्री नम्बर 181 तथा प्रभारी अधिकारी के मोबाईल नम्बर बोर्ड पर प्रदर्शित है? हॉ/नहीं
23. पंखे कूलर की व्यवस्था है? हॉ/नहीं
24. क्या इर्न्वटर की व्यवस्था है? हॉ/नहीं

निरीक्षण कर्ता द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई को बेहतर बनाने हेतु सुझावः–...

....

....

निरीक्षण कर्ता का नाम व पदः–

मोबाइल नम्बरः–

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः— एफ139()/परावि/विधि/श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना/2024/07 जयपुर, दिनांकः 08/01/24

आदेश

ग्रामीण क्षेत्रो में वर्तमान में संचालित रसोई योजना का नाम "**श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना**" करने का निर्णय लिया गया है। अतः निर्णय की पालना करते हुए ग्रामीण क्षेत्रो में संचालित रसोई योजना का नाम ऑनलाईन पोर्टल पर तथा समस्त प्रिटिंग सामग्री/हॉर्डिग/प्रचार—सामग्री इत्यादि पर तद्नुसार परिवर्तित कर संचालित रसोईयो के ऊपर "**श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना**" लिखवाया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में किये जाने वाले समस्त पत्राचार में भी "**श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना**" नाम का उपयोग किया जावें।

राज्य सरकार द्वारा "**श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना**" की थाली में भोजन सामग्री का वजन बढ़ाकर 600 ग्राम किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। अतः प्रति थाली देय राजकीय अनुदान 22/— रूपये निर्धारित किया जाता है तथा लाभार्थी का अंशदान पूर्व की भाँति 8/— रूपये प्रति थाली ही यथावत रहेगा। इस प्रकार प्रति थाली कुल लागत 30/— रूपये होगी।

उक्त भोजन दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

"**श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना**" में लाभार्थियों को परोसी जाने वाली थालियों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार करते हुए निम्नानुसार मीनू निर्धारित किया जाता है :—

क्र. सं.	मीनू
1	300 ग्राम चपाती
2	100 ग्राम दाल
3	100 ग्राम सब्जी
4	100 ग्राम चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) खिचड़ी आदि
5	अचार
	कुल वजन 600 ग्राम

इस प्रकार परासे जाने वाले भोजन सामग्री का वजन 600 ग्राम निर्धारित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रो में आपके जिले में संचालित रसोईयों की संख्या की आवश्यकता एवं स्थानों का युक्तियुक्त परीक्षण कराते हुए इनके पुनः निर्धारण हेतु अपने स्पष्ट प्रस्ताव एवं अनुशंषा पत्र प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में विभाग को प्रेषित करावें ताकि इस विषय में यथोचित निर्णय कराया जा सकें।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 172400001 दिनांक 05.01.2024 के अन्तर्गत जारी किया जाता है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
6. जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति समस्त राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ऑनलाईन पोर्टल पर तद्नुसार आवश्यक संशोधन करावें।
9. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
10. उप निदेशक (जन सम्पर्क), पंचायती राज को प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशन करवाने हेतु पालनार्थ।
11. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(सन्तोष कुमार गोयल)
स्टेट नोडल अधिकारी,
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना